BSNLEU

B S N L Employees Union

(Regd. No. 4896)

M.P. Circle, BHOPAL

(The Only Recognised union in BSNL)

OFFICE:1195,Lal Kothi, Near Brij Sweets,Shahi Naka Road,Gulauatal,Garha,JABALPUR,(MP)

Phone:- 0761-2425789, Website:- www.bsnleump.org Mobile:- 94251 24499

Circle Secretary
S.R.Nayak

Email:srnayak68@yahoo.in

Circle President
Saiyed Raasid Ali

एन ई पी पी में वेतन निर्धारण एवं लाभ

दिनांक 01.05.2010

1. इस पॉलिसी के अंतर्गत पदोन्नति प्राप्त होने पर पे–अपग्रेडेशन, अगले एन.ई. वेतनमान में होगा अर्थात् केडर या पद की अलग कोई धारा नहीं होगी।

2. पहिली पदोन्नति 01.10.2004 से प्राप्त हो सकेगी किन्तु इसका वास्तविक लाभ 01.04.2008 से प्राप्त होगा। अतः एरियर की राशि की गणना 01.04.2008 से ही होगी।

3. वेतन निर्धारण करते समय पदोन्नति के पूर्व के वेतन पर एक नोशनल इन्क्रीमेंट की राशि जोड़कर अगले वेतनमान की स्टेज पर फिक्स किया जावेगा।

4. वर्तमान परिस्थितियों में इससे अच्छी प्रमोशन पॉलिसी प्राप्त करना सम्भव नहीं था यद्यपि इसमें कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर कराने के लिए यूनियन का केन्द्रीय मुख्यालय प्रयासरत् है।

यूनियन के केन्द्रीय मुख्यालय द्वारा जिन बिन्दुओं को स्पष्ट करने की मांग की गई है वे इस प्रकार हैं:–

(1) एन ई पी पी के अंतर्गत वेतन निर्धारण एफआर–22(1)(a)(I) के अंतर्गत होने का एग्रीमेन्ट हुआ था इसलिए यह स्पष्ट किया जावे कि कर्मचारी को अपनी आगामी वेतन वृद्वि का लाभ लेकर वेतन निर्धारण का अधिकार होगा।

(2) यह स्पष्ट करें कि 01.01.2007 के बाद वेतन पुनः निर्धारण होने के बाद नोशनल इन्क्रीमेन्ट वेतन के 3% की राशि के बराबर अगली वेतन वृद्वि का लाभ देते हुए (यदि कर्मचारी ऐसा चाहेगा) वेतन निर्धारण होगा।

(3) एन ई पी पी के पैरा 5.2 में यह उल्लेख है कि, जो कर्मचारी पूर्व ओटीबीपी/बीसीआर/ग्रेड–IV/ एसीपी के अंतर्गत रहना चाहेंगे उन्हें उस स्कीम में प्राप्त कन्सेशन नहीं मिलेंगे। अतः स्पष्ट किया जावे कि इस प्रकार का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को सेवा निवृत्त होने के पूर्व ग्रेड–IV पदोन्नति के बदले में मिलने वाली एक वेतन वृद्वि के बराबर राशि यथावत् मिलती रहेगी।

(4) अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पुनः निर्धारित वेतन में पुराने वेतन मान 9850/- को 18850-40500का दर्जा (EIA) मिलेगा या 16400-40500 का (E1) यह स्पष्ट किया जावे जिससे कि स्ओनोग्राफर केडर के कर्मचारी एसीपी और एन ई पी पी में से लाभप्रद विकल्प चुन सकें।

(5) एन ई पी पी में पद आधारित अपग्रेडेशन को पहिली पदोन्नति माना गया है जबकि एक्जीक्यूटिव के विषय में ऐसा नहीं हुआ है। दिनांक 30.10.2008 के प्रमोशन पॉलिसी एग्रीमेन्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पद आधारित अपग्रेडेशन को पहिली पदोन्नति माना जावेगा। ऐसा होने से एलडीसी टीए/आर एम आदि को उचित लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए स्पष्ट किया जावे कि पद आधारित अपग्रेडेशन को पहिली पदोन्नति नहीं माना जावेगा।

(6) यह स्पष्ट किया जावे कि जिन कर्मचारियों को एन.ई–10 7800-11175 की पदोन्नति 01.10.2000 के पूर्व मिल गई है तथा 8570-12245 का एन.ई–11 वेतनमान 01.01.2010 को प्राप्त हुआ है तो क्या वे अपने लाभ के दृष्टिगत एन.ई.–11 के 01.01.2010 से प्राप्त प्रमोशन को त्याग कर 01.10.2004 से पहिली पदोन्नति प्राप्त करने का विकल्प चुन सकेंगे।